न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 20 / 2021

1 सुशीला पुत्री प्रभूदयाल पत्नी हजारीलाल।
2 ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल समस्त जाति खटीक निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गुलाबी देवी पत्नी मुरलीधर।
2 रणवीर पुत्र मुरलीधर समस्त जाति मीणा निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 रामलाल पुत्र प्रभूदयाल।
4 तुलसीराम पुत्र प्रभूदयाल।
5 सुनिता पुत्री प्रभूदयाल समस्त जाति खटीक निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद हनुमानगढ़।
6 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 उप पंजियक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 राजस्थान राज्य लैण्ड होल्डर तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2020 मुकदमा नम्बर 93/2012 बउनवानी कुनी देवी बनाम गुलाबी देवी आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर एवं गुलाबी बनाम कुन्नी देवी आदि मुकदमा नम्बर 206/12 पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–21-10-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 93/2012,206/2012 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 की माता कुन्नी देवी ने एक वाद मुकदमा नम्बर 93/2012 अदालत में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 5 व 6 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 प्रतिवादीगण के खिलाफ इस कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1083/3932 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1085 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1086 रकबा 2.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 कुल रकबा 3.81 हैक्टेयर ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 तो 7 अपने पति व पिता प्रभूदयाल के जीवनकाल से ही अपने हिस्से की कृषि भूमि रकबा 2.28 हैक्टेयर पर कब्जा, काश्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है तथा प्रतिवादिनी कुल भूमि 1.53 हैक्टेयर है उक्त भूमियों का विभाजन माप एवं सीमांकन द्वारा पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ तथा अंदाज से ही सींव नींव कायम कर अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है तथा अब शामिल में काश्त किया जाना संभव नहीं है इसलिए पक्षकारों के मध्य माप एवं सीमांकन द्वारा बंटवारा किया जाकर वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को 2.28 हैक्टेयर रकबा को अलग कर अलब खसरा नम्बर कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जावें इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने पश्चातवर्ती वाद मुकदमा नम्बर 206/2012 बउनवानी गुलाबी देवी बनाम कुन्नी देवी आदि माप व सीमांकन द्वारा बंटवारा करने हेतु प्रस्तुत किया दोनों वादों की सहायता एक होने के कारण मुकदमा नम्बर 93/2012 के साथ मुकदमा नम्बर 206/2012 को संलग्न किया गया तथा उभयपक्ष ने मौके एवं रिकार्ड के अनुसार माप एवं सीमांकन द्वारा बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया। अदालत मातहत ने इस पर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.05.2013 को जारी की तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा पक्षकान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु भिजवाने को आदेशित किया। इसके पश्चात विभाजन प्रस्ताव में अंकन तिथि अनुसार दिनांक 14.10.2020 को बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाये जिस बंटवारा प्रस्तावनुसार निर्णय व अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की माता कुन्नणी देवी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 17.05.2013 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार नही कर आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति का निर्णय नही कर सीधे ही दावे का निर्णय कर दिया है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेन्स में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने इन निर्देशों की पालना नही की है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2017 पेज 473 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री का कोई चुनौती नही दी गई है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में अन्तिम डिक्री पारित होने पर अपील में चुनौती नही दी जा सकती है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अंतिम डिक्री होने पर अपील में चुनौती दी जा सकती है। विचारण न्यायालय में वादी कुन्नणी देवी द्वारा विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को दिनांक 17.05.2013 को वादी कुन्नणी देवी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर भू–अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। इस प्राथमिक डिक्री को अपीलांट ने चुनौती नही दी है। ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री की यह अपील पोषणीय नही है। अपीलांट ने अपने अपील मेमो में आपत्ति की है कि खसरा नम्बर 1086 वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के कब्जे काश्त में है एवं आवासीय मकान बने हुये है जो प्रतिवादी संख्या 1 को दे दिया गया है। अपीलांट का यह कथन अपील के स्तर पर किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की माता द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमि विशेष पर कब्जे काश्त का कोई कथन नही है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर यह कथन स्वीकार्य नही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री का कोई चुनौती नही दी गई है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में अन्तिम डिक्री पारित होने पर अपील में चुनौती नही दी जा सकती है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अंतिम डिक्री होने पर अपील में चुनौती दी जा सकती है। विचारण न्यायालय में वादी कुन्नणी देवी द्वारा विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को दिनांक 17.05.2013 को वादी कुन्नणी देवी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर भू–अभिलेख निरीक्षक खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। इस प्राथमिक डिक्री को अपीलांट ने चुनौती नही दी है। ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री की यह अपील पोषणीय नही है। अपीलांट ने अपने अपील मेमो में आपत्ति की है कि खसरा नम्बर 1086 वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के कब्जे काश्त में है एवं आवासीय मकान बने हुये है जो प्रतिवादी संख्या 1 को दे दिया गया है। अपीलांट का यह कथन अपील के स्तर पर किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की माता द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमि विशेष पर कब्जे काश्त का कोई कथन नही है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर यह कथन स्वीकार्य नही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर